

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०-8/ज०सं०(नि०) ग्रा०-15/2013/राँची, दिनांक-

संकल्प

श्री अरुण कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, मेदिनीनगर के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 3425 दिनांक- 08.07.2015 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम- 43B के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी, जिसके संचालन पदाधिकारी श्री अशोक कुमार सिन्हा, भा०प्र०से० (से०नि०) नियुक्त थे।

संचालन पदाधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण श्री अरुण कुमार सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संकल्प ज्ञापांक- 6144 दिनांक- 16.12.2015 ज्ञापांक-4893 दिनांक- 06.10.2016 द्वारा जारी रखा गया, जिसमें क्रमशः श्री शेखर कुमार वर्मा, से०नि० (ज्ञा०प्र०से०) एवं श्री शुभेन्द्र झा, भा०प्र०से० (से०नि०) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. नियुक्त संचालन पदाधिकारी श्री शुभेन्द्र झा, भा०प्र०से० (से०नि०) का कार्यकाल समाप्त हो जाने एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 11393 दिनांक- 14.1.2017 द्वारा श्री ददन चौबे (से०नि०, ज्ञा०प्र०से०) को जल संसाधन विभाग का नया जाँच पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के कारण श्री अरुण कुमार सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री ददन चौबे, ज्ञा०प्र०से० (से०नि०) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 3425 दिनांक- 08.07.2015 की अन्य कंडिकायें एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति तथा श्री शुभेन्द्र झा, भा०प्र०से० (से०नि०) द्वारा वापस की गई संचिका श्री ददन चौबे, भा०प्र०से० (से०नि०) टी०ए० डिवीजन बिल्डिंग, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक -/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि : अनुबंध की प्रति एवं जाँच संचिका (मूल में) के साथ श्री ददन चौबे, (ज्ञा०प्र०से०, से०नि०) टी०ए० डिवीजन बिल्डिंग, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक - 5320 / राँची, दिनांक- 13-12-12

प्रतिलिपि : श्री विश्वनाथ प्रसाद तांती, अवर सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री अरुण कुमार सिंह, से०नि०, कार्यपालक अभियंता, ग्रा०+पो०-रहीमपुर (पचखुट्टी) थाना+जिला-खगड़िया (बिहार)/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13.12.12

सरकार के संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग।